<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मंगलचंद / सरकार

केस संख्या वाद 80/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	28/1/26	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/2/26 को पेश हो।	
	5/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वादी को ता. पेशी पर आवश्यक रूप से लिखित बहस अथवा बहस करे। अन्यथा पत्रावली गुणावगुण पर निर्णित की जावेगी। पत्रावली दिनांक 09/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	9/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये गये। वास्ते आदेश दिनांक [illegible]/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	27/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। [illegible] कथन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है कि राजस्थान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मंगलचंद / सरकार

वाद सं. 80/2024

क्रम आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित नियमों के अनुसार, गैर खातेदार से खातेदार का रूपांतरण करने हेतु वादीगण को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नजराना राशि (Market Value/Premium) और प्रचलित लगान जमा कराने का वैधानिक दायित्व है। जब वादीगण यह निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा देते है, तो उनका नाम पूर्ण खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित और विधि सम्मत होगा। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान राजस्व नियमो के अनुसार उक्त भूमी की वर्तमान बाजार दर/नियत प्रीमियम (नजराना) और अन्य बकाया राजस्व शुल्कों की विधि अनुसार गणना करें, वादीगण उक्त परिकलित राशि को राजकोष में जमा करायेंगे। वादीगण द्वारा निर्धारित शुल्क (पैसे) जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने के उपरांत, तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में वादीगण के नाम के आगे अंकित "गैर-खातेदार' शब्द को विलोपित कर 'खातेदार' शब्द का इंद्राज सुनिश्चित करें। तद् अनुसार ग्राम बैनाड़ मय कौल ... तहसील रामपुरा डाबडी स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 763/1015 रकबा 1.010 हैक्टेयर ... में वादीगण को 'खातेदार काश्तकार' घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 80/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 03.06.2025

1. मंगल चन्द पुत्र छोटूराम
2. सुरज्ञान पुत्र छोटूराम
3. लालचंद का पुत्र बलदेव
4. रमेश चन्द पुत्र लालचन्द
5. रूकमा देवी पत्नी लालचन्द
6. लालचंद की पुत्री संतोष देवी
7. सुनिता पुत्री लालचन्द
8. हंसा पुत्री लालचन्द

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

........प्रतिवादी

वाद बाबत भूमि घोषणा अंतर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री एस. जे. गिरि – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

दिनांक 27.02.2026

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 763/1015 रकबा 1.010 हैक्टेयर, ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू. अ. नि. खोराबीसल तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर में स्थित है। जो कि आगे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता/दादा/ससुर की विरासत आराजीयात है जो कि वादीगण के पिता/दादा/ससुर के फौत होने के उपरान्त विरासत के तहत वादी सख्या 1 लगायत 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पिता लालचन्द पुत्र छोटूराम के हित में नामान्तकरण तस्दीक कर [illegible] के नाम राजस्व रिकोर्ड अमल दरामद किया गया। वादीगण के पिता/दादा/ससुर छो[illegible] जाति बलाई सा.देह ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में पूर्व में कई वर्षो से गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिसके अनुसार ही अपने जीवन काल तक वादीगण के पिता/दादा/ससुर भूमि वादग्रस्त पर वादीगण सहित काबिज काश्त रहे तथा उसके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण काबिज काश्तकार है लेकिन राजस्व रिर्कोड में अभी खाता मिलकियात गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

खातेदार गलत दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी अंकित होने के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी अंकित करने की कार्यवाही करने व राजस्व इन्द्राज करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का रहां हैं, जो कि अबतक खातेदारी अंकित नहीं करना राजस्व विभाग की भूल व चूक चली आ रही हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही व राजस्व इन्द्राज नहीं करने की भारी भूल व चूक किया हैं, जबकि विधिक न्यायिक प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्से दराज पूर्व ही खातदारी में अंकित हो जानी जाहिए थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की भूल व चूक के कारण वादीगण के विधिक खातेदारी प्राप्त करने के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता, बल्कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध अपने वैधानिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं वादीगण अपनी हक हकूक वादग्रस्त आराजियात पर अपने पिता/दादा/ससुर के जीवनकाल तक उनके साथ रहते हुए एवं उनकी मृत्यु उपरान्त बतौर गैर खातेदार स्वयं काबिज काश्त हैं, वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने हक पूर्वज के जीवन काल से लेकर अब तक वैधानिक हक अधिकार के तहत निरन्तर काबिज रहते हुए आ रहे हैं। भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक अधिकार मालिकाना व खातेदारी आवंटन बाद गैरखातेदारी इन्द्राज पूर्वतक बहाल हो चुका हैं तथा वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के हक खातेदार काश्तकार अब से पूर्वतक हो चुके हैं, लेकिन वादीगण के हित में अब से पूर्वतक खातेदारी इन्द्राज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 ने भारी भूल व चूक किया हैं, जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये अदालत कराने के विधिक अधिकारी है। यह कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है, जिसके अनुसार खातेदारी घोषित कराने के वादीगण अधिकारी हैं। यह कि वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार एवं राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के लम्बे समय से वैधानिक इन्द्राज व हक कब्जे काश्त के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अंकित नहीं किया, जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी हैं। यह कि कानूनी प्रावधानों अनुसार वादीगण हक खातेदार की विधिक हैसियत रखते हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं। वादीगण के हक में अंकित गैर वातेदारी भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को को आवेदन पेश किया, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 के अधिनस्थ पटवारी हल्का ने अपने निजि स्वार्थ में लिप्त रहते हुए वादीगण के हित में गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करने से साफ ही इन्कार कर दिया तथा दिनांक 23–05–2025 को भी वादीगण के हित में खातेदारी की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता एव ना ही वादीगण के विधिक हक काश्तकारी व खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सकता है। वादीगण विधिक रूप से काबिजदार के हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में वादीगण को लाजिम आया है कि वे मान्य न्यायालय से इस आशय की डिकी हांसिल कर लेवे कि वादीगण वादग्रस्त भूमि अनुसार विधिक रूप से खातेदारी प्राप्त कराने के अधिकारी हैं दिनांक 23.05.2025 को प्रतिवादी से 1 में वादीगण के हित में गैर खातेदारी से खातेदारी इंद्राज करने से इंकार करने से उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। उक्त वादपत्र में प्रतिवादी से 1 श्रीमान तहसीलदार जी रामपुराडाबडी को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। वादीगण के अधिकारों की सुरक्षार्थ व वाद की प्रकृति को मध्य नजर रखते हुए कानूनी नोटीस देने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा वादीगण की ओर से पूर्व में किये गये आवेदन से अबतक प्रतिवादी सं । द्वारा वादीगण के हित में कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं वादीगण को खातेदारी नहीं दी गई। लेकिन वादीगण का वादपत्र मात्र कानूनी नोटिस की तकनीकी के आधार पर निर्णित नहीं किया जाकर मेरिट्स पर निर्णित करने हेतु प्रतिवादी स. 1 हेतु कानूनी नाटिस देने से छूट देने का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार कर वाद विचारार्थ ग्रहण किया जाये। विवादित भूमि के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से मान्य न्यायालय उक्त वाद को श्रवण करने व निर्णित करने का अधिकार प्राप्त है। वादपत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं। वाद अन्दर मियाद है। वादीगण सविनय निवेदन करते हैं कि वाद डिकी किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा की हाल जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 763/1015 रकबा 1.01 हेक्टे. किस्म बारानी प्रार्थीगण मंगलचन्द पुत्र छोटूराम बलाई नि. ग्राम नांगलसिरस वगैरहा के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक खसरा मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बर 763/1015 साबिक खसरा नम्बर 527/3 से बना है। मुताबिक हाल खतौनी बंदोबस्त संवत् 2046 के खाता संख्या 204 अनुसार प्रकरणागत आराजी छोटूराम पुत्र कानाराम कौम बलाई गैर खातेदार दर्ज थी जो कि जरिये विरासत नामान्तरण से प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रकरणागत आराजी खसरा नम्बर 763/1015 का गैर दर्ज किये जाने बाबत् तहसील इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2023/2038 दिनांक 09.10.2023 से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय को भिजवाया जा चुका है चूंकि प्रकरणागत आराजियात जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है अतः प्रकरण में नियमानुसार जेडिए से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा ही प्रार्थी के आंवटन की विधिवत् जांच उपरांत खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है। प्रकरणागत खसरा नम्बर 763/1015 की सीमा खसरा नम्बर 763 किस्म गै. मु. पहाड से लगती हुयी है अतः प्रकरण में वन–विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जानी उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

होगी। प्रकरणागत आराजी पर वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदि नही है वाद–पत्र के शेष तथ्य वादीगण व माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबंदी हाल संवत 2074–2077 (प्रदर्श–1), नकल हाल खसरा गिरदावरी संवत 2080 (प्रदर्श–2), नकल नक्शा (प्रदर्श–3), नकल खतौनी बंदोबस्त दिनांक 1–07–1989 से 30–06–2009 (प्रदर्श–4), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–5), नकल खसरा गिरदावरी संवत 2060–61, 2062–65, 2066–69, 2070–73 (प्रदर्श–6) एवं छायाप्रति आवंटन पत्र प्रदर्शित करवाये।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य हेतु PW-1 सुरज्ञान पुत्र छोटूराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, वादीगण के तर्कों और तहसीलदार की व्याख्या का विधि के प्रकाश में सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय निम्न निष्कर्षों पर पहुँचता है:

1. निरंतर कब्जे और काश्त का सिद्धांतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 (जमाबंदी व गिरदावरी) यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि विवादित भूमि खसरा संख्या 763/1015 पर वादीगण और उनके पूर्वज (छोटूराम) पिछले कई दशकों से खेती कर रहे हैं। राजस्व कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि "Long continuous possession creates a legal presumption in favor of the person in possession-" (लगातार लंबा कब्जा कब्जाधारी के पक्ष में कानूनी धारणा बनाता है)। चूंकि वादीगण का नाम 'गैर–खातेदार' के रूप में दर्ज है, यह स्वतः ही स्वीकारोक्ति है कि वे भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज हैं।
2. विरासत और विधिक उत्तराधिकारः तहसीलदार की रिपोर्ट और विरासत के नामान्तरण से यह स्पष्ट है कि यह भूमि किसी नए आवंटन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर लंबे समय से काबिज है और वह भूमि किसी अन्य के नाम खातेदारी में नहीं है, तो वह व्यक्ति 'खातेदारी' अधिकार प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया हकदार हो जाता है।
3. जे.डी.ए. और एन.ओ.सी. के संबंध में कानूनी [illegible] तहसीलदार की रिपोर्ट में जे.डी.ए. क्षेत्र और वन विभाग की एन.ओ.सी. का मुद्दा [illegible] गया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने क[illegible] (बनाम राजस्थान राज्य) में यह प्रतिपादित किया है कि: "मात्र भूमि का नगरीय [illegible]मा या जे.डी.ए. क्षेत्र में आना किसी काश्तकार के पूर्व–स्थापित अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।" यदि वादीगण का कब्जा जे.डी.ए. के गठन या भूमि के नगरीय क्षेत्र में आने से पहले का है, तो उन्हें केवल प्रक्रियात्मक एन.ओ.सी. के अभाव में खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

4. गैर–खातेदारी से खातेदारी में स्वतः परिवर्तन: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा काश्तकारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा देना है। यदि कोई गैर–खातेदार काश्तकार बिना किसी उल्लंघन के निरंतर काश्त कर रहा है, तो एक निश्चित अवधि (सामान्यतः 10 वर्ष) के पश्चात उसे खातेदारी अधिकार मिलना विधि सम्मत है। प्रस्तुत मामले में वादीगण का कब्जा इस अवधि से कहीं अधिक पुराना है।
5. प्रतिवादी की स्वीकारोक्तिः तहसीलदार की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि खातेदारी देने का प्रस्ताव पूर्व में ही उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि राजस्व विभाग स्वयं वादीगण को खातेदारी का पात्र मानता है। विभाग की अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं या एन.ओ.सी. के पेच की वजह से एक काश्तकार के वैधानिक अधिकारों को अधर में नहीं टाला जा सकता है।
6. विधिक नजीरों का समावेशः माननीय राजस्व मंडल (Board of Revenue) के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, धारा 88 के तहत घोषणात्मक वाद में यदि वादी का कब्जा और राजस्व रिकॉर्ड में नाम (भले ही गैर–खातेदार हो) प्रमाणित है, तो न्यायालय को वास्तविक स्थिति (De-facto position) को कानूनी मान्यता (De-jure status) प्रदान करनी चाहिए।

॥ आदेश ॥

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित नियमों के अनुसार, गैर–खातेदार से खातेदार का इंद्राज करने हेतु वादीगण को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नजराना राशि (Market value/Premium) और प्रचलित लगान जमा कराने का वैधानिक दायित्व है। जब वादीगण यह निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा देते हैं, तो उनका नाम पूर्ण खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित और विधि सम्मत होगा।" तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान राजस्व नियमों के अनुसार उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर/नियत प्रीमियम (नजराना) और अन्य बकाया राजस्व शुल्कों की विधि अनुसार गणना करें। वादीगण उक्त परिकलित राशि को राजकोष में जमा कराएंगे। वादीगण द्वारा निर्धारित शुल्क (पैसे) जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने के उपरांत, तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में वादीगण के नाम आगे अंकित 'गैर–खातेदार' शब्द को विलोपित कर 'खातेदार' शब्द का इंद्राज सुनिश्चित करें तदनुसार ग्राम बैनाड़, मय दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 763 / [illegible]5 (रकबा 1.010 हैक्टेयर) के संबंध में वादीगण को 'खातेदार काश्तकार' घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

वाद प्रस्तुति दिनांक – 03.06.2025

नियमित वाद संख्या – 80/2024

1. मंगल चन्द पुत्र छोटूराम
2. सुरज्ञान पुत्र छोटूराम
3. लालचंद का पुत्र बलदेव
4. रमेश चन्द पुत्र लालचन्द
5. रूकमा देवी पत्नी लालचन्द
6. लालचंद की पुत्री संतोष देवी
7. सुनिता पुत्री लालचन्द
8. हंसा पुत्री लालचन्द

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

........प्रतिवादी

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित नियमों के अनुसार, गैर–खातेदार से खातेदार का इंद्राज करने हेतु वादीगण को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नजराना राशि (Market value/Premium) और प्रचलित लगान जमा कराने का वैधानिक दायित्व है। जब वादीगण यह निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा देते हैं, तो उनका नाम पूर्ण खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित और विधि सम्मत होगा।" तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान राजस्व नियमों के अनुसार उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर/नियत प्रीमियम (नजराना) और अन्य बकाया राजस्व शुल्कों की विधि अनुसार गणना करें। वादीगण उक्त परिकलित राशि को राजकोष में जमा कराएंगे।

वादीगण द्वारा निर्धारित शुल्क (पैसे) जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने के उपरांत, तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में वादीगण के [illegible] आगे अंकित 'गैर–खातेदार' शब्द को विलोपित कर 'खातेदार' शब्द का इंद्राज सुनिश्चित करें, तदनुसार ग्राम बैनाड़, तहसील रामपुरा डाबड़ी स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 763/[illegible]5 (रकबा 1.010 हैक्टेयर) के संबंध में वादीगण को 'खातेदार काश्तकार' घोषित किया जाता है।

p मय दौलतपुरा

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.02.2026 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सख्या – 80 / 2024
बउनवानी – मंगलचंद बनाम सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 27.02.2026

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:00 IST
Reason: SelfAttested